

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक-02/रेगु-2-800-04/2019-

/पटना, दिनांक-

जुलाई, 2026

आदेश

बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम-1981 की धारा-27 (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अनिल कुमार झा, ईखायुक्त, बिहार नीचे उल्लिखित राज्य की चीनी मिलों के लिए पेराई सत्र 2026-2027 के निमित्त अपेक्षित ईख की मात्रा (Normal Cane Requirement-NCR) उनके नाम के सामने अंकित रूप में निर्धारित करता हूँ :-

क्र. सं.	चीनी मिल का नाम	जिला का नाम	पेराई वर्ष 2026-27 के लिए अपेक्षित ईख की मात्रा (लाख क्विंटल में)
1	2	3	4
1.	हरिनगर सुगर मिल्स लि०, हरिनगर	पश्चिमी चम्पारण	165.00
2.	तिरूपति सुगर्स लि०, बगहा	पश्चिमी चम्पारण	115.00
3.	मगध सुगर एण्ड इनर्जी लि०, यूनिट-न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज	पश्चिमी चम्पारण	126.00
4.	मझौलिया सुगर इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, मंझौलिया	पश्चिमी चम्पारण	77.00
5.	विष्णु सुगर मिल्स लि०, गोपालगंज	गोपालगंज	57.00
6.	मगध सुगर एण्ड इनर्जी लि०, यूनिट-भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया गोपालगंज	गोपालगंज	66.00
7.	मगध सुगर एण्ड इनर्जी लि०, यूनिट-हसनपुर सुगर मिल्स, हसनपुर	समस्तीपुर	70.00
8.	एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लि०, सुगौली इकाई, पूर्वी चम्पारण	पूर्वी चम्पारण	45.00
9.	एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लि०, लौरिया इकाई, प० चम्पारण	पश्चिमी चम्पारण	43.00
10.	रीगा सुगर कम्पनी लि०, रीगा	सीतामढ़ी	45.00
		कुल :	809.00

ह०/-
(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

कृ.पू.उ.

ज्ञापांक-02/रेगु-2-800-04/2019-

/पटना, दिनांक- जुलाई, 2026

प्रतिलिपि:- प्रभारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

ह०/-

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-02/रेगु-2-800-04/2019-

/पटना, दिनांक- जुलाई, 2026

प्रतिलिपि-महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, सभी संबंधित चीनी मिलें/संबंधित जिला पदाधिकारी/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर/विशेष ईख पदाधिकारी, पटना/गोपालगंज एवं सभी ईख पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-02/रेगु-2-800-04/2019- 1178/ई०

/पटना, दिनांक- 07 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि- आई. टी. मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।